राजस्थान सरकार

# न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

**पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या : 15/2021 प्रार्थना पत्र**

**उनवान**

| | | |
|---|---|---|
| श्री उस्मान खां पुत्र श्री हनीफ खां जाति मेव मुसलमान निवासी दावतखेडी, पोस्ट गुजर्दा तहसील व जिला मन्दसौर (म0प्र0) | **बनाम** | थानाधिकारी शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा |
| ——प्रार्थी | | ——विपक्षी |

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता

उपस्थित :— श्री शाहिद शेख (अधिवक्ता) — प्रार्थी की ओर से

## आदेश

दिनांक :02.08.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री उस्मान खां पुत्र श्री हनीफ खां जाति मेव मुसलमान निवासी दावतखेडी, पोस्ट गुजर्दा तहसील व जिला मन्दसौर (म0प्र0) का वाहन ट्रक टाटा एलपीटी 3118 जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आर0जे0 09 जी0सी0 7230 है, को पुलिस थाना शाहपुरा तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा ने वजह सबूत में अपनी अभिरक्षा में लिया है। प्रार्थी उक्त वाहन का स्वामी हैं। पुलिस को तफतीश में उक्त वाहन की अब कोई आवश्यकता नही हैं। उक्त वाहन थाना परिसर में खुले में पड़ा खराब हो रहा है। न्यायालय द्वारा जब भी उक्त वाहन को तलब किया जायेगा प्रार्थी अपने स्वयं के खर्चे से उपस्थित कर देगा। प्रार्थी उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त करने हेतु संतुष्टि प्रतिभूति व स्वयं का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने हेतु तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन ट्रक टाटा एलपीटी 3118 जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आर0जे0 09 जी0सी0 7230 को प्रार्थी को सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07.07.2021 को पंजीकृत करते हुये विपक्षी से प्रकरण में की गयी कार्यवाही रिपोर्ट एवं पत्रावली तलब की गयी। थानाधिकारी शाहपुरा ने पत्रांक/2266 दिनांक 12.07.2021 से पत्रावली प्रस्तुत की है।

थानाधिकारी शाहपुरा ने उनके प्रकरण/प्र.सू.रि. (FIR) संख्या 148/2021 अंतर्गत धारा 5, 6, 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात विनियमन) नियम, 1995 की पत्रावली प्रेषित कर अंकित किया कि जरिये दूरभाष गोवंश वाहन में भरे जाने की सूचना मिलने पर ग्राम रघुनाथपुरा सरहद में एक वाहन ट्रक टाटा एलपीटी 3118 जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आर0जे0 09 जी0सी0 7230 में 08 नग गोवंश (बछड़े) भरा हुआ मिला एवं पास ही 22 नग गोवंश (बछड़े) रस्सियों से बंधे हुए मिले। उक्त सभी 30 नग गोवंश (बछड़े) एवं ट्रक नंबर आर0जे0 09 जी0सी0 7230 को जरिये फर्द पृथक पृथक जप्त किया गया तथा मौके पर ही मौतबिरान के समक्ष श्री लोकेश पुत्र रामेश्वर जाति सुवालका निवासी चलानिया हाल सरपंच ग्राम पंचायत लुंलास को सभी 30 नग गोवंश (बछड़े) सिपुर्द कर रसीद प्राप्त की गयी।

वाहन स्वामी श्री उस्मान खां पुत्र श्री हनीफ खां जाति मेव मुसलमान निवासी दावतखेडी, पोस्ट गुजर्दा तहसील व जिला मन्दसौर (म0प्र0) द्वारा जब्तशुदा वाहन ट्रक टाटा एलपीटी 3118 जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आर0जे0 09 जी0सी0 7230 का श्री आदिल पिता अमिर उल्लाह काजी जाति पठान मुसलमान निवासी मरदादीन मंदसौर (म0प्र0) के कब्जे में होने बाबत् मुख्तयार नामा आम (पॉवर ऑफ अटोर्नी) दिनांक 16.04.2021 को दिया गया है। पुलिस थाना शाहपुरा द्वारा फर्द जब्ती वाहन ट्रक टाटा एलपीटी 3118 जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आर0जे0 09 जी0सी0 7230 दिनांक 16.05.2021 की मुर्तिब हैं।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाहन ट्रक टाटा एलपीटी 3118 जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आर0जे0 09 जी0सी0 7230 को प्रार्थी को जमानत पर सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का परीक्षण किया गया जिस अनुसार पाया गया कि थानाधिकारी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा ने वाहन ट्रक टाटा एलपीटी 3118 जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आर0जे0 09 जी0सी0 7230 है को अपनी तहवील में लिया है। न्यायालय श्रीमान् अपर सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा जिला भीलवाडा के निर्णयानुसार मुल्जिम बर जमानत आजाद है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को इस हेतु पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी उक्त वाहन का किसी भी तरह से बेचान या हस्तांतरण, गिरवी, खुर्द बुर्द, व रंगरोगन/आकार–प्रकार में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं करेगा एवं अनुसंधान/सक्षम न्यायालय में विचारण में जब भी आवश्यकता हो, वाहन को स्वयं के खर्चे पर प्रस्तुत करेगा। प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा वाहन ट्रक टाटा एलपीटी 3118 जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आर0जे0 09 जी0सी0 7230 के रिलीज किये जाने बाबत् कुल रूपये 15,00,000/– (पन्द्रह लाख रूपये) के जमानत मुचलका मय सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया गया जिन्हें तस्दीक किया गया।

विपक्षी थानाधिकारी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के जमानत मुचलका पेश कर दिये जाने से उक्त वाहन ट्रक टाटा एलपीटी 3118 जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आर0जे0 09 जी0सी0 7230 को रिलीज किया जावें। जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौडगढ़ (राज0) को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में रिलीज किये जाने वाले वाहन ट्रक टाटा एलपीटी 3118 जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आर0जे0 09 जी0सी0 7230 को श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा/अन्य सक्षम न्यायालय में प्रकरण से संबंधित कोई अन्य केस विचाराधीन होने पर, उसके निस्तारण तक किसी अन्य को बेचान, रहन, खुर्दबुर्द व हस्तान्तरण न करें व न ही किसी अन्य से करावें।

उप पंजीयक तहसील, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) एवं महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, भीलवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा जमानत मुचलके के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी खतौनी में अंकित ग्राम रूपाहेली पटवार हल्का रूपाहेली तहसील भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 2655/924, 876, 909, 910, 911, 912, 915, 925, 926 कुल किता 09 कुल रकबा 4.0972 है0 में से जमानतदार श्री लहरू लाल जाट पुत्र श्री गणेश लाल जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा के हिस्से तक की कृषि भूमि को श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा/अन्य सक्षम न्यायालय में प्रकरण से संबंधित कोई अन्य केस विचाराधीन होने पर उसके निस्तारण तक किसी अन्य को बेचान, रहन, खुर्दबुर्द व हस्तान्तरण न करें व न ही किसी अन्य से करावें।

साथ ही आयुक्त, नगर परिषद्/सचिव, नगर विकास न्यास/उप पंजीयक, भीलवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा जमानत मुचलके के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज में जमानतदार श्री गोवर्धन लाल लोट पुत्र श्री रामचन्द्र लोट निवासी भीलवाड़ा के स्वामित्व एवं आधिपत्य का नगर परिषद्, भीलवाड़ा की सीमा में पथवारी के पास, कांवाखेड़ा, कच्ची बस्ती, भीलवाड़ा स्थित मकान, क्षेत्रफल 110 वर्गगज जिसका नगर परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा जारी पट्टा क्रमांकः नपभी/नियमन/आवंटन/13–14/210 दिनांकित 03.09.2013 को श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा/अन्य सक्षम न्यायालय में प्रकरण से संबंधित कोई अन्य केस विचाराधीन होने पर उसके निस्तारण तक किसी अन्य को बेचान, रहन, खुर्दबुर्द व हस्तान्तरण न करें व न ही किसी अन्य से करावें। वाहन रिलीज के निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकॉर्ड थानाधिकारी शाहपुरा जिला भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावें। निर्णय की प्रति जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौडगढ़ (राज0) एवं आयुक्त, नगर परिषद्/सचिव, नगर विकास न्यास/उप पंजीयक भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा